

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्रा

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252 ]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अप्रैल 2010—चैत्र 13, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (3) बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उपनियम (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की इस निमित्त जारी अधिसूचना क्रमांक (58) बी-1-70-07-2-पांच, दिनांक 25 मार्च 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अन्य देशों से आयातित मूल में बोतल बंद विदेशी मदिरा पर नीचे यथा विनिर्दिष्ट बोतल फीस विहित करती है, अर्थात् :-

#### सारणी

अनुक्रमांक	आयातित विदेशी मदिरा (मूल में बोतल बंद)	बोतल फीस की दर
(1)	(2)	(3)
1	स्प्रिट	रुपए 400.00 प्रति 750 मिली लीटर की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक.
2	वाईन	रुपए 40.00 प्रति 750 मिली लीटर की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक.
3	बीयर	रुपए 50.00 प्रति 650 मिली लीटर की क्वार्ट बोतल या समानुपातिक.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्र. (3) बी-1-36-2010-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (3) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 3 अप्रैल 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 3rd April 2010

No. (3) B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-rule (2) of rule 18 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's Notification No. (58)-B-1-70-07-2-V, dated 25th March 2008 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the bottle fee on Bottled in Origin (BIO) foreign liquor imported from other countries as specified below, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Imported Foreign Liquor (BIO) (2)	Rate of Bottle Fee (3)
1	Spirit	Rs. 400.00 per quart bottle of 750 M. L. of proportionate.
2	Wine	Rs. 40.00 per quart bottle of 750 M. L. of proportionate.
3	Beer	Rs. 50.00 per quart bottle of 650 M. L. of proportionate.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
R. K. YADAV, Addl. Secy.